इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी 2013—माघ 23, शक 1934

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. एफ-5-1-2013-पन्द्रह-1.—यत:, मध्यप्रदेश के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मण्डलों के कार्यकाल का माह मार्च-अप्रैल, 2013 में अवसान हो रहा है;

और, यत:, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उन नवीन संशोधित उपबंधों के अनुसार जो कि 13 फरवरी 2013 से प्रवृत्त होंगे, समस्त सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संचालन के लिए पृथक् प्राधिकारी का गठन होना है. प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने की प्रक्रिया तथा उसका प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने में समय लग जाना अपेक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मण्डलों का निर्वाचन इन संचालक मण्डलों के वर्तमान कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व कराना संभव नहीं है;

और, यत:, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि मध्यप्रदेश के समस्त जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मण्डलों के कार्यकाल में छह मास की कालावधि की वृद्धि की जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के समस्त जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संचालक मण्डलों के कार्यकाल में उनके अपने-अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से छह मास की कालावधि की वृद्धि करती है.

No. F-5-1-2013-XV-1.—WHEREAS, the tenure of the Board of Directors of the District Co-operative Agriculture and Rural Development Banks of Madhya Pradesh are being expired in the month of March-April, 2013;

AND, WHEREAS, as per newly amended provisions of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) which shall come into force from 13th February, 2013, a separate authority is to be constituted for conducting the elections of all Co-operative Societies. Due to the time required in the process of framing rules in respect of appointment of authority and to ensuring establishment of administrative set-up thereof, it is not possible to hold the election for the Board of Directors of District Co-operative Agriculture and Rural Development Banks of Madhya Pradesh in time before expiry of present tenure of these Banks ;

AND, WHEREAS, the State Government has decided that the term of Board of Directors of all District Co-operative Agriculture and Rural Development Banks of Madhya Pradesh should be extended for a period of six months;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (7-AA) of Section 49 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, extends the term of Board of Directors of all District Co-operative Agriculture and Rural Development Banks of Madhya Pradesh for a period of six month from the date of expiry of their respective term.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.